सेवा में,

निदेशक
राष्ट्रीय शर्करा संस्था
कानपुर।

विषय : आर0टी0आई0 एक्ट 2005 जनसूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति के सम्बन्ध मे।

महोदय,

विनम्र निवेदन के साथ अवगत कराना है कि प्रार्थी संस्था में सन् 1974 से 1980 तक दैनिक वेतन भोगी मजदूर (2 वर्ष), सुरक्षा विभाग में दैनिक वेतन भोगी चौकीदार के पद पर लगभग 5 वर्ष तक तथा मौसमी चौकीदार के रूप में तीन पिरायी सत्र मे काम करने के बाद संस्थान के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होने के कारण ही सन् 1982 से स्थाई कर्मचारी के रूप में काम करते हुये 31 जुलाई 2015 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है। सेवा निवृत्ति होने के पश्चात व्यक्तिगत कार्य से संस्था आने पर मुख्य गेट पर तैनात चौकीदार श्री कुँवर बहादुर सिंह व श्री कालिका प्रसाद ने संस्था के अन्दर जाने से रोक कर बताया कि सुरक्षा अधिकारी श्री विवेक प्रताप सिंह ने मौखिक रूप से आदेशित किया है कि श्रीराम को अन्दर न जाने दिया जाये। सुरक्षा निरीक्षक श्री जय राज सिंह भी आ गये उन्होने अपने मोबाइल से किससे बात की, नही मालूम परन्तु बात करने के पश्चात ही गेट पर रखे रजिस्टर में नाम अंकित करने के बाद ही अन्दर जाने का आदेश मिला। अन्दर जाने पर मेन बिल्डिंग के मुख्य द्वार पर पुनः वही प्रक्रिया अपनाई गयी। तब आफिस के अन्दर प्रविष्टि मिली।

15 अगस्त 2015 को प्रार्थी आजादी के अवसर पर झंडा रोहण में सम्मिलित होने के लिये संस्था में आया तो मुख्य गेट पर तैनात चौकीदार श्री ब्रम्हानन्द तिवारी जी ने प्रार्थी को रोक कर कहा कि आप रजिस्टर में नाम दर्ज करने के बाद ही कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिये जा सकते है। आजादी के पावन पर्व पर भी संस्था में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिये प्रार्थी को हस्ताक्षर करके ही जाने दिया गया, जबकि कार्यक्रम स्थल पर जाकर

देखने में मिला कि काफी मात्रा में बाहरी लोग झंडा रोहण स्थल पर उपस्थित थे। परन्तु रजिस्टर में मात्र श्रीराम का ही नाम अंकित करवाया गया था। कार्यक्रम समाप्ति के बाद रजिस्टर देखने में यही मिला था। श्री राम अनुसूचित जाति (चमार) वर्ग से है एवं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ का सचिव होने के कारण सम्बन्धित वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के हितो की बात करना व प्रशासन के गलत कृत्यों को उजागर करना। यदि गलत है तो कृपया संस्था प्रशासन प्रार्थी के द्वारा लिखित निम्न बिन्दुओ का बिन्दुवार जानकारी आर0टी0आई0 एक्ट 2005 के अन्तर्गत देने की कृपा करे। बिन्दु क्रमशः निम्न प्रकार से है।

1. क्या देशहित, संस्थाहित व अपने हित की बात करना गलत है ?

2. प्रार्थी ने संस्था सेवाकाल में क्या कभी भी संस्था को नुकसान पहुचाने जैसा कृत्य किया है तो क्या किया है ? कृपया स्पष्ट करे।

3. चालीस वर्षो तक संस्था की पूर्ण निष्ठा के साथ सेवा करने के पश्चात क्या संस्था प्रशासन की नजर में श्री राम आतंकवादी नजर आ रहा है ?

4. विश्वास है कि मुख्य गेट पर तैनात श्री ब्रम्हानन्द तिवारी झूठ नही बोलेगे। ऐसा विश्वास है। क्या श्री वी0पी0 सिंह सुरक्षा अधिकारी को संस्था प्रशासन ने निर्देश किया है कि श्री राम को संस्था में प्रवेश से रोका जाये। ऐसा क्यों ? कृपया इस सम्बन्ध में लिखित आदेश जारी करने की कृपा करे।

5. कुछ सेवा निवृत्त कर्मचारी (स्थायी व मौसमी) अकसर कार्यालय कार्य दिवस के अलावा छुटटी के दिन भी मुख्य गेट पर बैठे दिखाई देते है। क्या कुछ विशेष लोगो के लियें विशेष छूट प्रदान की गयी है। ऐसा क्यो ?

6. संस्था में लम्बे अरसे तक सेवा देने के पश्चात जो अधिकारी/कर्मचारी सेवा निवृत्त हो चुके है। जिनकी सारी जन्मकुण्डली संस्था में उपलब्ध है उनके साथ बाहरी आम लोगो जैसा बर्ताव क्यो ?

7. सुरक्षा की दृष्टिकोण से संस्था की सुरक्षा की व्यवस्था चाक--चौबन्ध होना अत्यन्त जरूरी है। परन्तु उनसे क्या खतरा नजर आता है जो संस्था के अधिकारी / कर्मचारी रह चुके है ?

कृपया सम्यान्तर्गत सूचना उपलब्ध करवाने की कृपा करे। जवाब बनावटी नही, सत्य, स्वच्छ स्पष्ट होना चाहिये।

धन्यवाद!

दिनांक – 26.08.2015

Deposited to Rs 10/- only vide TR No. 321493 dt. 27-8-15
(signature) 27/8/15

प्रार्थी

(signature)

(श्रीराम)
जू0 गेस्टे0 आपरेटर
सेवा निवृत्त एवं सचिव
अखिल भारतीय अनुसूचित जाति / जनजाति
कर्मचारी कल्याण संघ
राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर।

पत्राचार का पता :-
आवास सं० 377, प्रधान गेट
(कोयला) कॉलोनी
आई० आई० टी० कानपुर-208016

नोट:- श्री जयराज सिंह, सुरक्षा निरीक्षक, श्री कुंवर बहादुर सिंह, श्री कालिका प्रसाद व श्री ब्रह्मानन्द तिवारी [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

RTI MATTER/SPEED POST

सं. 25(52)/2015/RTI/ 28

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

ISO 9001- 2008 प्रमाणित संस्थान
उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
भारत सरकार

फोन: 0512—2570541,543 कानपुर, दिनांक 24—9—2015

सेवा में,

श्री युत श्रीराम,
आवासीय संख्या -377, प्रधान गेट,
(कैरियर) सामाजिक, आईआईटी रोड,
कानपुर-208017।

जारी
संख्या 404
दिनांक 24/9/15

विषय :— सूचना का अधिकार अधिनियम--2015 के सम्बन्ध में।

महोदय,

इस संस्थान में दिनांक 27 अगस्त, 2015 द्वारा प्राप्त सूचना के अधिकार अधिनियम -2005 के अन्तर्गत आपके पत्र दिनांक 28 अगस्त, 2015 के द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचना हेतु आवेदन किया है :—

प्रश्न--1 क्या देशहित, संस्थाहित व अपने हित की बात करना गलत है ?

प्रश्न--2 प्रार्थी ने संस्था सेवाकाल में क्या कभी भी संस्था को नुकसान पहुँचाने जैसा कृत्य किया है तो क्या किया है? कृपया स्पष्ट करें।

प्रश्न--3 चालीस वर्षों तक संस्था की पूर्ण निष्ठा के साथ सेवा करने के पश्चात क्या संस्था प्रशासन की नजर में श्रीराम आतंकवादी नजर आ रहा है?

प्रश्न- 4 विश्वास है कि मुख्य गेट पर तैनात श्री ब्रह्मानन्द तिवारी झूठ नहीं बोलेंगे ऐसा विश्वास है। क्या श्री बी.पी. सिंह, सुरक्षा अधिकारी को संस्था प्रशासन ने निर्देश किया है कि श्रीराम को संस्था में प्रवेश से रोका जाये? ऐसा क्यों? कृपया इस सम्बन्ध में लिखित आदेश जारी करने की कृपा करें।

प्रश्न--5 कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारी (सरकारी व गैरसरकारी) अक्सर कार्यालय कार्य दिवस के अलावा छुट्टी के दिन भी मुख्य गेट पर बैठक दिखाई देते हैं क्या कुछ विशेष लोगों के लिए विशेष छूट प्रदान की गई है ऐसा क्यों?

प्रश्न--6 संस्था में लम्बे अरसे तक सेवा देने के पश्चात जो अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं जिनकी पूरी जन्मकुण्डली संस्था में उपलब्ध है उनके साथ बाहरी आम लोगों जैसा बर्ताव क्यों?

प्रश्न 7 सुरक्षा की दृष्टिकोण से संस्था की सुरक्षा की व्यवस्था चाक--चौबन्द होना अत्यन्त जरूरी है, परन्तु उनसे क्या खतरा नजर आता है जो संस्था के अधिकारी/कर्मचारी रह चुके हैं?

उपरोक्त आवेदन एवं प्रश्नों के सन्दर्भ में यह सूचित किया जाता है कि मांगी गयी जानकारी में सूचना की व्याख्या की अपेक्षा है, जो जनसूचना अधिकार की परिभाषा में नहीं आती, इसके अलावा आपके द्वारा उठाये गये बिन्दुओं के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि जनसूचना अधिकारी का यह कर्तव्य नहीं होता कि ऐसी जानकारी प्रदान करें जिसमें निष्कर्ष अथवा अनुमान निकालने की धारणा बनाने की अथवा सूचना की विवेचना करने की अथवा आवेदक द्वारा स्थापित समस्याओं का समाधान करने की अथवा काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता हो। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा पूछे गये कोई भी प्रश्न सूचना की

परिभाषा के अन्तर्गत नहीं हैं एवं अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। अतः आपके द्वारा उठाये गये उद्गार सूचना के अधिनियम के दायरे में न होने के कारण सूचना अनुपलब्ध मानी जाए।

तथापि मूल प्रश्न 4 एवं भाग प्रश्न–5 के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि संस्था द्वारा किसी भी व्यक्ति विशेष के लिये ऐसे कोई भी आदेश जारी नहीं किये गये। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि कार्यालय में सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है तथा सभी नियमों को सभी कर्मियों के लिये समान रूप से लागू किया जाता है

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप उपरोक्त दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में उक्त इस पत्र के जारी करने से 30 दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपील कर सकते हैं–

श्री नरेन्द्र मोहन
निदेशक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान,
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

भवदीय
(राकेश शुक्ला)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी